

गौशाला विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्रम में वार्षिक कैलेंडर निम्नानुसार जारी किया जाता है, किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि तिथियों में परिवर्तन होगा, उस स्थिति में समस्त जिला कार्यालयों को समय रहते सूचित किया जावेगा:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	प्रारम्भ दिनांक	समापन दिनांक	अन्य विवरण
1-	गौशाला द्वारा योजना में आवेदन करने की समय अवधि	20.06.2024	15.07.2024	दिनांक 15.07.2024 के उपरान्त गौशालाओं द्वारा नवीन आवेदन प्रेषित नहीं किया जा सकेगा
2-	कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों पर आक्षेप पूर्ति कर पात्र आवेदनों को मुख्यालय प्रेषित की समय अवधि	20.06.2024	15.08.2024	<ul style="list-style-type: none"> जिला कार्यालयों द्वारा केवल पात्र आवेदन ही मुख्यालय पर प्रेषित किये जावेंगे। जिला कार्यालयों द्वारा गौशालाओं को आक्षेप पूर्ति हेतु अधिकतम तीन बार आवेदन गौशाला को प्रेषित करना होगा। यदि किसी गौशाला द्वारा तीन बार आक्षेप प्रेषण करने पर भी पूर्ति नहीं की जाती है तो उस स्थिति में स्वतः ही आवेदन निरस्त समझा जावे।
3-	मुख्यालय पर प्राप्त आवेदनों पर आक्षेप पूर्ति हेतु आक्षेप, कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग प्रेषित करने तथा पुनः मुख्यालय पर त्रुटिहीन आवेदन प्राप्त करने की अवधि	20.06.2024	15.08.2024	मुख्यालय पर प्राप्त आवेदनों की आक्षेप पूर्ति, संयुक्त निदेशक कार्यालयों द्वारा मात्र एक बार ही की जा सकेगी।
4-	मुख्यालय पर प्राप्त पात्र आवेदनों को प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रेषित करने की अवधि	16.08.2024	15.09.2024	उक्त अवधि को माननीय मंत्री महोदय की उपलब्धता अनुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।
5-	प्रशासनिक अनुमोदन उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने की अवधि	16.09.2024	20.09.2024	उक्त अवधि को माननीय मंत्री महोदय की उपलब्धता के अनुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।
6-	प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने पर कार्यकारी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति अपलोड करने की अवधि	20.09.2024	19.10.2024	<ul style="list-style-type: none"> तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी संस्था के कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित एवं स्पष्ट तकनीकी स्वीकृति क्रमांक दिनांक अंकित कर ही प्रेषित की जावेगी अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा।

RajKaj Ref
8163203

Signature valid

Digitally signed by S. S. Sharma
Designation: Director
Date: 2024.09.19 10:30:55 IST
Reason: Application निरस्त माना

				जावेगा।
7-	तकनिकी स्वीकृति पर आक्षेप पूर्ति	20.10.2024	27.10.2024	
8-	तकनिकी स्वीकृति प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की अवधि	20.10.2024	27.10.2024	गलत तकनिकी स्वीकृति प्रेषित करने पर प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
9-	वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त प्रथम किश्त भुगतान आदेश जारी करने की अवधि	28.11.2024	05.11.2024	
10-	प्रथम किश्त भुगतान आदेश जारी होने के उपरान्त बिल एवं राशि हस्तान्तरण की अवधि	05.11.2024	10.11.2024	
11-	निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं निर्माण कार्य के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं निरीक्षण रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित करने की अवधि।	10.11.2024	10.03.2025	उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं निरीक्षण रिपोर्ट योजना प्रावधान अनुसार प्राप्त होने पर ही द्वितीय किस्त जारी की जावेगी।
12-	द्वितीय किश्त भुगतान जारी करने की अवधि।	10.03.2025	31.03.2025	

RajKaj Ref
8163203

Signature valid

Digitally signed by S. S. Sharma
Designation: Director
Date: 2024.03.29 11:30:55 IST
Reason: Approved